

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड, अजमेर दूरभाष संख्या- 0145-2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-एफ14()एफसीए/उवसं/2022-23/ 9062

दिनांक:- 28/9/22

निमित्त,

अधिकाषी अभियंता,
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
नगर खण्ड प्रथम, नल गोदाम अजमेर।

विषय:- Diversion of 0.0578 hectare forest land for Laying of Public health Engineering department, City Division 1 for Construction of Jinda Chilla Madar Water supply(Laying of Water supply line in Ajmer Rajasthan Forest Diversion proposal under forest (Conservation) Act, 1980.Proposal No FP/RJ/WATER/13429/2015

संदर्भ:- इस कार्यालय के पत्रांक 266 दिनांक 08.1.2019, पत्रांक 9476 दिनांक 24.09.2020 एवं पत्रांक 6538 दिनांक 29.09.2021 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि सन्दर्भित पत्रों द्वारा प्रकरण में श्रमिक दरो में बढोतरी होने से वृक्षारोपण हेतु अंतर राशि जमा कराने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था। आपके द्वारा आज दिनांक तक अंतर राशि जमा नहीं कराई गई है। वर्तमान में श्रमिक दरे 259 रुपये हो चुकी है। अतः पत्र में उल्लेखित मांग पत्र अनुसार संशोधित अंतर राशि अविलम्ब जमा करावें ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्र. सं.	राज्य सरकार वन विभाग के पत्रांक प.1(49)वन/2016 जयपुर द्वारा दि.29.12.2016 को जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली अंतर राशि	वि.वि.
1	शर्त संख्या 9 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुणा संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते राशि वेबपोर्टल OSMFWCP (Online Submission and Monitoring of Forest & Wild File Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से जमा की जायेगी। परिभ्राषित वन भूमि पर (100 वृक्षों हेतु) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की वर्तमान मजदूरी दर 259/- अनुसार है। न्यूनतम वृक्षारोपण 100 वृक्षों हेतु प्रस्तावित है। पूर्व में प्रस्तावित प्राक्कलन 230000/- में नवीन श्रमिक दरो 259/-अनुसार राशि की गणना की गई है। कुल राशि 279680/- में से पूर्व में जमा राशि 105000/- को घटाया जाने उपरान्त अंतर राशि 174680/- जमा करावे।	174680/-	193857 / - कुल राशि को OSMFWC P के माध्यम से जमा करावे।
2	शर्त संख्या 11 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण सक्षम स्तर से एन.पी.वी. की दरो में बढोतरी होने पर बढी हुई दरो के अनुसार धन राशि नियमानुसार जमा कराई जानी है। वर्तमान में दिनांक 06.01.2022 से भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी की दरो में बढोतरी किये जाने से नवीन राशि वेब पोर्टल ओएसएमएफडब्ल्यूसीपी द्वारा सृजित ई चालान से जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई चालान की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नं. की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाये। तदुपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। एन.पी.वी. की नवीन गणना दिनांक 06.01.2022 के आदेश अनुसार 957780/- प्रति है० के अनुसार है।	19177/-	
क्र.सं. 1 से 2 का योग		193857.00	

भवदीय

(सुनील चिद्री)

उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :-सम/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।

उप वन संरक्षक
अजमेर